

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रमांक/एफ- /1/सा.प्र.वि./विविध/2022/1141


भिलाई, दिनांक...7/11/22

//आदेश//

श्री दिलीप चन्द्राकर, पम्प सहायक को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1862 दिनांक 03.11.2022 द्वारा वार्ड 31 जयंती गार्डन उच्चस्तरीय जलागार में पार्श्वदपति एवं उनके साथ उपस्थित अन्य व्यक्तियों के साथ अभद्र व्यवहार एवं धमकी भरे शब्दों का प्रयोग किये जाने के कारण, कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब मांगा गया।

तदसंबंध में श्री दिलीप चन्द्राकर, पम्प सहायक द्वारा दिनांक 04.11.2022 को जोन आयुक्त के कक्ष में उपस्थित होकर नशे की हालत में जोन आयुक्त एवं उपस्थित कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया गया है। उनका यह कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के (1)(2)(3) के विरुद्ध का आचरण है।

अतः उपरोक्त कृत्य के लिए श्री दिलीप चन्द्राकर, पम्प सहायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में मुख्यालय 77 एम.एल.डी. (जलकार्य) में रहेगा। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


(रोहित बघस)
आई.एस.


आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक...7/11/22

पृ.क्र/एफ- /1/सा.प्र.वि./विविध/2022/1142

प्रतिलिपि :-

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. कार्यपालन अभियंता, 77 एम.एल.डी. (जलकार्य) नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. जोन आयुक्त जोन क्रमांक 03 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को निगम भिलाई की वेबसाइट में अपलोड हेतु सूचनार्थ।
9. श्री दिलीप चन्द्राकर, पम्प सहायक नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।


आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई